उत्तर प्रदेश पुलिस
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

संशोधित सूचना/विज्ञप्ति

पुरूषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरूषों के लिए प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती–2020–21

संख्या–पीआरपीबी–दो–2(3 वि0)/2020 **दिनांकः मई 03 , 2021**

बोर्ड की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित–25.02.2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस में **उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरूषों के लिए प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, वेतनमान–पे बैण्ड–9300–34800 व ग्रेड पे–4200 के क्रमशः 9027, 484 एवं 23 अर्थात कुल–9534 रिक्त पदों हेतु** ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। जिसकी अन्तिम तिथि 30.05.2021 है।

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित के अन्तर्गत उक्त विज्ञप्ति दिनांक 25.02.2021 को बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया था, जिसमें टंकण त्रुटि के कारण अभ्यर्थियों की आयु अर्हता के सम्बन्ध में नियमावली में उल्लिखित –भर्ती के लिए आवश्यक है कि **अभ्यर्थी ने दिनांक 01.07.2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो,** के स्थान पर **अभ्यर्थी ने दिनांक 01.07.2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो,** अंकित हो गया था।

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित (द्वितीय संशोधन के अन्तर्गत उल्लिखित है कि, **भर्ती के लिए आवश्यक है किः–**

अभ्यर्थी ने दिनांक 01.07.2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। अतः बोर्ड द्वारा निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 25.02.2021 में टंकण त्रुटि का सुधार करते हुए संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 07.04.2021 को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी थी, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उक्त के आलोक में **परीक्षण करने पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा जारी प्रथम विज्ञप्ति दिनांकित 25.02.2021 के अनुसार अर्हता आयु के सम्बन्ध में 28 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अनारक्षित श्रेणी तथा 33 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति) के कुल 391 अभ्यर्थियों का आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया गया है। ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त** उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित (द्वितीय संशोधन) मे उल्लिखित तथ्यों के आलोक में कि **"अभ्यर्थी ने दिनांक 01.07.2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो", के क्रम में दिनांक 01.07.2021 को 28 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों तथा 33 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के कुल 391 आवेदन को अमान्य/त्रुटिपूर्ण होने के कारण** निरस्त किया जाता है। संगत सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित (द्वितीय संशोधन) की छायाप्रति व उक्त 391 अभ्यर्थियों के नामों की सूची संलग्न है।

2– उक्त अभ्यर्थियों जिनके अभ्यर्थन निरस्त किये गये है, के द्वारा जमा किये गये आवेदन शुल्क की धनराशि उनको वापस किये जाने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

03/5/21

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग–1
संख्याः /2016/2739/6–पु–1–16–53/2015
लखनऊः दिनांकः दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5 सन् 1861) की धारा–2 और धारा–46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा–(2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2016

<table>
<tr>
<td>नियम– 3 का संशोधन</td>
<td>1–</td>
<td>3–परिभाषाएं
उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम–3 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ण) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :–
(त) "आरक्षी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार आरक्षी पुलिस से है;
(थ) "मुख्य आरक्षी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार मुख्य आरक्षी पुलिस से है;</td>
</tr>
<tr>
<td>नियम–5 का संशोधन</td>
<td>2–</td>
<td>(क) उक्त नियमावली में नियम–5 में, उपनियम (1) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–
<table>
<tr><th>स्तम्भ–1
विद्यमान खण्ड</th><th>स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड</th></tr>
<tr>
<td>(दो) पचास प्रतिशत पदों कोअनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम सेमौलिक रूप से नियुक्त नागरिक पुलिस केऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरा जायेगा जो अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गय हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।</td>
<td>(दो) पचास प्रतिशत पदों को बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित रीति से भरा जायेगा :–
(1) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों को कुल संख्या में से दो तिहाई पद, अनुपयक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस में से भरे जाएंगे, जो अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षकों के शेष एक तिहाई पद ऐसे आरक्षी पुलिस अथवा मुख्य आरक्षी पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			माध्यम से भरे जाएंगे:— (क) जिन्होंने आरक्षी पुलिस के रूप में अथवा दोनों पदों आरक्षी पुलिस तथा मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर की गई कुल सेवावधि को मिलाते हुए, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, (ख) जिनकी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आयु 40 वर्ष से अधिक न हो, (ग) जिन्हें विगत 05 वर्षों में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14 के उपनियम (2) के अधीन दण्डित न किया गया हो, और जो एक से अधिक बार उक्त पांच वर्ष के पूर्व उक्त नियमावली के अधीन दण्डित न किये गये हों; (घ) जो मद 'ग' में निदिष्ट नियमावली के नियम 14 के उप नियम (1) के अधीन भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व दण्डित न किये गये हों; (ड.) जिन्हें भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व सेवा में वार्षिक अभ्युक्ति में प्रतिकूल प्रविष्टि न प्रदान की गयी हो; (च) जिसकी सत्यनिष्ठा कभी भी भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व रोकी न गयी हो। **टिप्पणी**:—उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के उपलब्ध रिक्तियों में प्रत्येक वर्ष पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल संख्या के दो तिहाई पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और शेष एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा तब तक भरे जाते रहेंगे जब तक इस नियमावली के अधीन अधिसूचना के दिनांक के पश्चात विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा कुल पद भरे नहीं जाते हैं और जब तक उपनिरीक्षक, सिविल पुलिस के कुल स्वीकृत पद पदोन्नति द्वारा नहीं भर लिये जाते हैं। उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के समस्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के पश्चात अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेगी और विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे गये उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेंगी।
		(ख) उप नियम (2) में, नीचे **स्तम्भ-1** में दिए गए खण्ड **(क)** के स्थान पर **स्तम्भ-2** में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—	

		स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–1 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(क)निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।	(क) निरीक्षक, नागरिक पुलिस के शतप्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से भरे जायेंगे :– (1) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल संख्या के पदों के दो तिहाई पद अनुपयक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त नागरिक पुलिस के ऐसे उपनिरीक्षकों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और निरीक्षक, नागरिक पुलिस के शेष एक तिहाई पद ऐसे उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जायेंगे:– (एक) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो; (दो) जिनकी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आयु 45 वर्ष से अधिक न हो, (तीन) जिन्हें विगत 05 वर्षों में समय–सयम पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14 के उपनियम (2) के अधीन दण्डित न किया गया हो और जिन्हें उक्त नियमावली के अधीन उक्त पांच वर्ष के पूर्व एक से अधिक बार दण्डित न किया गया हो, (चार) जिन्हें मद (तीन) में निर्दिष्ट नियमावली के नियम–14 के उपनियम (1) के अधीन भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व दण्डित न किया गया हों; (पांच) जिन्हें भर्ती वर्ष के प्रथम दिन के पूर्व सेवा में वार्षिक अभ्युक्तियों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न प्रदान की गयी हो; (छः) जिसकी सत्यनिष्ठा कभी भी भर्ती वर्ष के प्रथम दिन के पूर्व सेवा में रोकी न गयी हो। **टिप्पणीः–** निरीक्षक, नागरिक पुलिस के उपलब्ध रिक्तियों में प्रत्येक वर्ष पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल संख्या के दो तिहाई पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और शेष एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार

			पर पदोन्नति द्वारा तब तक भरे जाते रहेंगे जब तक इस नियमावली के अधीन अधिसूचना के दिनांक के पश्चात विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा कुल पद भरे नहीं जाते हैं और जब तक निरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल स्वीकृत पद पदोन्नति द्वारा नहीं भर लिये जाते हैं। निरीक्षक, नागरिक पुलिस के समस्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के पश्चात् अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत निरीक्षक, नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेगी और विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे गये निरीक्षक, नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेंगी।
नियम–10 का संशोधन	3–	उक्त नियमावली में, नीचे **स्तम्भ–1** में दिए गए विद्यमान **नियम–10** के स्थान पर **स्तम्भ–2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–	
		स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
		आयु– **10**– सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित की जायं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।	**आयु–** **10**–सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित की जायं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।
नियम–17 का संशोधन	4–	(क) उक्त नियमावली में नियम–17 में,– नीचे **स्तम्भ–1** में दिए गए खण्ड **(क)** के स्थान पर **स्तम्भ–2** में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–	
		स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया:– **17(1) उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति:–** उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से निम्नलिखित रीति में की जायेगी:– (क)उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद	**पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया:–** **17(1) उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति:–** (क) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों के कुल संख्या के दो तिहाई पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे

		अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उपनिरीक्षक, सिविल पुलिस के शेष एक तिहाई पद बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से नियम–5 के उपनियम(1) के खण्ड (दो) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले आरक्षी पुलिस अथवा मुख्य आरक्षी पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित रीति से भरे जायेंगे :– **(एक) लिखित परीक्षा** पुलिस मुख्यालय नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (2) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले आरक्षी पुलिस एवं मुख्य आरक्षी पुलिस के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और उपरोक्त पात्रता हेतु आवेदनों की संवीक्षा करने के पश्चात समस्त पात्र आरक्षी पुलिस एवं मुख्य आरक्षी पुलिस की सूची, बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी। बोर्ड सर्वप्रथम उनकी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। ये लिखित परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी। लिखित परीक्षा आयोजित करने की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे उसके वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा और बोर्ड इस पाठ्यक्रम को अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा। लिखित परीक्षा 200 अंको की होगी और लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। **(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा** उपनियम (1) में निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हों। इस हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 2.4 किमी0 की दौड़ 20 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 1.2 किमी0 की दौड़ 11 मिनट में पूरा करना होगा। जो अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दौड़ को निर्धारित समय में पूरा करने में विफल रहते हैं, वे प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे। **(तीन) सेवा अभिलेख** शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा गठित की गयी चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किया जायेगा :–

(क) सेवा अभिलेखों के आधार पर अधिकतम 70 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे:–

(क) सेवा अवधि – 30 अंक
(ख) वार्षिक अभ्युक्ति – 30 अंक
(ग) पदक इत्यादि – 10 अंक

(ख) सेवा अभिलेखों के विभिन्न मदों के आधार पर अंक आवंटन के निम्नलिखित मानदण्ड होंगे:–

क	**सेवा अवधि के लिए अंक**	**अधिकतम 30 अंक** (आरक्षी/मुख्य आरक्षी के रूप में पूर्ण की गई प्रत्येक **01 वर्ष** की सेवा के लिये **02 अंक**) **टिप्पणी** :–15 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक और अपूर्ण किए गए वर्ष के लिए पूर्ण किए गये प्रत्येक तीन माह के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार पूर्ण किए गए प्रथम तीन माह के पश्चात् 0.5 अंक और 06 माह पूरा करने के पश्चात 1 अंक एवं 09 माह पूरा करने के पश्चात 1.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तिमाही पूर्ण करने के पश्चात आने वाले माह/दिनों के लिए कोई अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने के दिनांक से की जाएगी।	
ख	वार्षिक अभ्युक्तियों के लिए अंक	**विगत 15 वर्ष के सेवा अवधारण के लिए अधिकतम 30 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेगें :–**	
		1–प्रत्येक आउटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट के लिए	**2.0 अंक**
		2–प्रत्येक वेरीगुड/अतिउत्तम/एक्सीलेन्ट के लिए	**1.5 अंक**
		3–प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा के लिए	**1.0 अंक**
		4–प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा अथवा औसत या	**0.5 अंक**

						एवरेज के लिए	
						<u>टिप्पणी</u>:–जहाँ वार्षिक अभ्युक्ति ऊपर दर्शायी गयी विहित श्रेणीकरण में न लिखी गयी हो या कोई श्रेणीकरण न प्रदान किया गया हो वहां चयन समिति सम्पूर्ण प्रविष्टि का परीक्षण करेगी और उसका निर्धारण करने के पश्चात तद्नुसार अंक प्रदान किए जाएंगे।	
			ग	**पदक इत्यादि**		**<u>अधिकतम 10 अंक</u>**	
						1–भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए	**05 अंक**
						2–उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं मा0मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए	**03 अंक**
						3– उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह/पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह	**02 अंक**
			घ	**ऋणात्मक अंक**	(क)	यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(2) के अधीन लघु दण्ड	प्रत्येक लघु दण्ड के लिये **05 अंक घटाये जायेंगे**
					(ख)	यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों	प्रत्येक छुद्र दण्ड के लिये **1.0 अंक घटाया**

			की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के अधीन छुद्र दण्ड	जायेगा

(चार) योग्यता सूची

बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और सेवाभिलेखों के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा।

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उनकी योग्यता निम्नानुसार अवधारित की जायेगीः–

(क) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो मुख्य आरक्षी, पुलिस को अधिमान प्रदान किया जायेगा।

(ख) यदि दो या दो से अधिक मुख्य आरक्षी, पुलिस अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो उनकी ज्येष्ठता का अवधारण उनकी पृथक पृथक ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(ग) यदि दो या दो से अधिक आरक्षी पुलिस अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो उनकी ज्येष्ठता का अवधारण उनकी पृथक पृथक ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

बोर्ड, रिक्तियों की संख्या के अनुसार योग्यता कम में चयन सूची तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड इस सम्बंध में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं करेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात चयन सूची वेबसाइट पर दर्शायी जायेगी।

(ख) उपनियम (2) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर **स्तम्भ–2** में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(क)निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।	(क) निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल संख्या के पदों के दो तिहाई पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (क–1) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों में से शेष एक तिहाई पद बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से नियम–5

			के उपनियम (2) के खण्ड (क) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर, निम्न रीति से भरे जायेंगे :— **(1) लिखित परीक्षा** पुलिस मुख्यालय नियम नियम–5 के उपनियम (2) के खण्ड (क) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को आवेदन करने हेतु आमंत्रित करेगा और पात्रता हेतु उक्त आवेदनों की सन्निरीक्षा करने के पश्चात समस्त पात्र उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी। बोर्ड सर्वप्रथम उनकी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यह लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा आयोजित करने की विस्तृत प्रकिया का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड इस लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम को पुलिस महानिदेशक के अनुमोदनोपरान्त अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा। लिखित परीक्षा 200 अंको की होगी और लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे । **(2) शारीरिक दक्षता परीक्षा** लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस हेतु पुरूष अभ्यर्थियों से 2.4 किमी0 की दौड़ 22 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों से 1.2 किमी0 की दौड़ 12 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। जो अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दौड़ को निर्धारित समय में पूरा करने में विफल रहते हैं वे पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे । **(3) सेवा अभिलेख** शारीरिक दक्षता में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा गठित की गई चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेखों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। (एक) सेवा अभिलेखों के आधार पर अधिकतम 70 अंक निम्नलिखित रीति से प्रदान किये जायेंगे:— (क) सेवा अवधि – 30 अंक (ख) वार्षिक अभ्युक्ति – 30 अंक (ग) पदक इत्यादि – 10 अंक

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
(दो) सेवा अभिलेख के विभिन्न मदों के आधार पर अंक आवंटन के मापदण्ड
<table>
<tr>
<td>(एक)</td>
<td>सेवा अवधि के लिए अंक</td>
<td colspan="2">अधिकतम 30 अंक
(उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के रूप में पूर्ण की गई प्रत्येक एक वर्ष की सेवा के लिये 02 अंक)
टिप्पणीः– 15 वर्ष से कम अवधि की सेवा के लिए पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक और अपूर्ण वर्ष के लिए पूर्ण किए गये प्रत्येक तीन माह के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार प्रथम तीन माह पूरा करने के पश्चात 0.5 अंक, 06 माह पूरा करने के पश्चात 1 अंक तथा 09 माह पूरा करने के पश्चात 1.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तिमाही पूरा करने के पश्चात आने वाले माह और दिनों के लिए कोई अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना उसके पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने के दिनांक से की जाएगी।</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">(दो)</td>
<td rowspan="6">वार्षिक अभ्युक्ति के लिए अंक</td>
<td colspan="2">विगत 15 वर्षों की सेवा के अवधारण के लिए अधिकतम 30 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेगें :–</td>
</tr>
<tr>
<td>1–प्रत्येक आउटस्टैंडिंग / उत्कृष्ट / सर्वोच्च / सर्वोत्कृष्ट</td>
<td>2.0 अंक</td>
</tr>
<tr>
<td>2–प्रत्येक वेरीगुड / अतिउत्तम / एक्सीलेन्ट</td>
<td>1.5 अंक</td>
</tr>
<tr>
<td>3–प्रत्येक गुड / उत्तम / बहुत अच्छा</td>
<td>1.0 अंक</td>
</tr>
<tr>
<td>4–प्रत्येक संतोषजनक / अच्छा / औसत या एवरेज</td>
<td>0.5 अंक</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">टिप्पणीः– जहाँ ऊपर दर्शायी</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

					गयी विहित श्रेणीकरण में वार्षिक अभ्युक्ति न लिखी गयी हो या कोई श्रेणीकरण न प्रदान किया गया हो वहाँ सम्पूर्ण प्रविष्टि का परीक्षण चयन समिति द्वारा किया जायेगा और इसका निर्धारण करने के पश्चात तदनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।		
			(तीन)	पदक इत्यादि	**अधिकतम 10 अंक**		
					1—भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक		**05 अंक**
					2—उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक		**03 अंक**
					3—उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह/पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशंसा चिन्ह		**02 अंक**
			(चार)	**ऋणात्मक अंक**	(एक)	यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14 (2) के अधीन लघु दण्ड	प्रत्येक लघु दण्ड के लिये **05 अंक घटाये जायेंगे**

(4) योग्यता सूची

बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक उपनिरीक्षकों के अंक समान हों तो उनकी योग्यता का विनिश्चिय उपनिरीक्षक पद पर उनकी पृथक—पृथक ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

			बोर्ड रिक्तियों की संख्या के अनुसार योग्यता क्रम में चयन सूची तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड इस सम्बन्ध में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं करेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात यह चयन सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।
नियम–19 का संशोधन	5–	उक्त नियमावली में नीचे **स्तम्भ–1** में दिए गए उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–	
		स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
		प्रशिक्षणः– (2) नियम–17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।	**प्रशिक्षणः–** (2)(क) नियम–17 के अधीन ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण को पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। (ख) नियम–17 के अधीन विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। प्रशिक्षण निदेशालय सफल अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पदोन्नति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त, पूरक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और पुनः उनकी परीक्षा ली जाएगी। पूरक प्रशिक्षण में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उन्हें उनके पूर्व के पद पर भेज दिया जाएगा।
नियम–22 का संशोधन	6–	(क) उक्त नियमावली में, नियम 22 में, उपनियम (2) में, नीचे **स्तम्भ–1** में दिए गए खण्ड (ख) के स्थान पर **स्तम्भ–2** में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–	
		स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		ज्येष्ठता **दिनांकः 02–12–08 के पश्चात भर्ती उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता का निर्धारण :** **(ख)** बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती उपनिरीक्षकों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती उपनिरीक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के कम के अनुसार होगी।	**ज्येष्ठता** **दिनांकः 02–12–08 के पश्चात भर्ती किये गये उपनिरीक्षकों की ज्येष्ठता का अवधारण :** **(ख)** बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उपनिरीक्षकों का चयन एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अधीन एकल चयन में भर्ती किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी की गयी अन्तिम चयन सूची के कम के अनुसार होगी किन्तु यदि किसी वर्ष में, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष, महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीधी

			भर्ती एक साथ की जाती है तो चयनित महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का विनिश्चय एक साथ, उनके द्वारा इन चयन प्रकियाओं में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा, भले ही दोनों भर्तियों में चयन का दिनांक अलग–अलग हो। इस सम्बन्ध में भर्ती प्रकियाओं को पूरा करने तथा उनके परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात बोर्ड उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु चयनित समस्त पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों की उनके द्वारा भर्ती प्रकियाओं में प्राप्त अंको के आधार पर अलग से संयुक्त योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा। तत्पश्चात पुलिस मुख्यालय इन चयनित महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर ज्येष्ठता का विनिश्चय संयुक्त योग्यता सूची के आधार पर एक साथ करेगा।

(ख) नीचे **स्तम्भ–1** में दिए गए उपनियम **(3)** के स्थान पर **स्तम्भ–2** में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
ज्येष्ठता **(3) निरीक्षक नागरिक पुलिस की ज्येष्ठता का निर्धारण:** पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त निरीक्षक की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक सवंर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे । यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।	**ज्येष्ठता** **(3) निरीक्षक नागरिक पुलिस की ज्येष्ठता का अवधारण:** पदोन्नति के आधार पर नियुक्त निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनके चयन के दिनांक से अवधारित की जायेगी। यहाँ चयन का दिनांक का तात्पर्य उस दिनांक से है जिस दिनांक को भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात बोर्ड द्वारा प्रेषित चयन सूची को विभागाध्यक्ष अनुमोदित करें। यदि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किसी परीक्षा के माध्यम से की गयी हो तो पदोन्नति के पश्चात नियुक्त निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी की गयी अन्तिम चयन सूची के अनुसार होगी। यदि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है तो निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में ज्येष्ठता के आधार पर होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक से ज्येष्ठ होगा।

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव, गृह